कार्यालयः- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 1221 /3क(2)/30 प्रतिशत पदोन्नति/2023–24/दिनांक 19 जनवरी, 2024

विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली –2019 (यथासंशोधित) के नियम–16 में निहित प्राविधानों के तहत विज्ञप्ति वर्ष 2019–20 के सापेक्ष राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0, सहायक अध्यापक, रा0उ0प्रा0वि0 एवं सहायक अध्यापक, राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नाकिंत प्रधानाध्यापक, रा0प्रा0वि0/ सहायक अध्यापक रा0उ0प्रा0वि0/रा0आ0वि0 को स0अ0एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (वेतन मैट्रिक्स 44900–142400, लेवल–7) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–07 में अंकित विद्यालय में अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर एवं सम्बन्धित द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार बाद में निर्धारित की जायेगी। पदोन्नति हेतु सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका की पदोन्नति समाप्त कर दी जायेगी। जिस हेतु सम्बन्धित का कोई दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा।

विषय– वाणिज्य

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	पदोन्नत/ पदस्थापित विद्यालय
1	2	3	4	5	6	7
सामान्य शाखा						
1	मनमोहन सिंह, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0डौर	नरेन्द्रनगर	टिहरी	28–02–1995	रा0इ0का0 माजरीग्रान्ट, डोईवाला, देहरादून
2	सुधीर कुमार अमोली, स0अ0	रा0क0उ0प्रा0वि0 रामजीवाला	यमकेश्वर	पौडी	30–03–1995	रा0उ0मा0वि0 कुन्जाग्रान्ट, विकासनगर, देहरादून
3	महेश प्रसाद, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 पैडुल	पौड़ी	पौडी	30–07–1995	रा0इ0का0 खण्डाह, खिर्सू, पौड़ी

19/1/24

(डॉ. एस.बी. जोशी)
अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृ0सं0/सेवा.अराज./ 17309-22 /3क(2)/30 प्रतिशत पदोन्नति/2023–24 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :–

01. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
02. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
05. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं के कार्यभार ग्रहण की सूचना प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। यदि सम्बन्धित विद्यालय से कोई गेस्ट टीचर प्रभावित होता है तो उसे अपने स्तर से अन्यत्र विद्यालय में समायोजित करना सुनिश्चित करें।
06. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
07. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ।
08. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
09. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा)।

10. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

11. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को नियमानुसार कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

12. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका को (सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. के माध्यम से) इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का भली–भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात सम्बन्धित विषय का पद रिक्त होने पर ही सम्बन्धित को कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर लें:–

(क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।

(ख) चयन वर्ष की प्रथम तिथि को न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण की हों तथा वर्तमान में वेतनमान– 44900–142400 वेतन मैट्रिक्स में लेवल 07 में कार्यरत हों।

(ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ) उक्त शिक्षकों के लिये नियमावली के नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड (दो) के अनुसार प्रशिक्षण अर्हता के उपबन्ध लागू होंगे।

13. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी तथा आगामी तीन वर्षों तक उनकी पदोन्नति नहीं की जाएगी, उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ अध्यापक/अध्यापिका को पदोन्नत किया जाएगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छाया प्रतियों सहित) प्रस्तुत करेंगे।

14. एम0आई0एस0 प्रभारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

15. कार्यालय प्रति।

19/1/24

अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी